प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक 04 मार्च, 2025**

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएम एफएमई) योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में Sharable componants (के.60/रा.40) एवं Non-Sharable componants (के.100/रा.00) हेतु अवमुक्त धनराशि रू0-5000.00 लाख (मदर सैंक्शन) में राज्यांश की धनराशि सम्मिलित करते हुए रू0-7133.33 लाख को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-125/बजट/2024-25, दिनांक-24.02.2025 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन के रूप में Sharable componants हेतु केन्द्रांश रू0-3800.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-2533.33 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-6333.33 लाख को अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-01-0104-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (के.60/रा.40-के.) की योजना में तथा Non-Sharable componants में भारत सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन के रूप में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-1200.00 लाख के सापेक्ष रू0-800.00 लाख की धनराशि अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-01-0105-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (के.100/रा.00-के.) की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते प्रतिबन्धों /

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.01.2025 में दिये गये दिशानिर्देशों - का पूर्णतः अनुपालनकिये जाने का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक का होगा।

3. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक का होगा।

4. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक/वित्त नियंत्रक का उत्तरदायित्व होगा।

5. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /वित्त नियंत्रक के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

6. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकारकेन्द्र / अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्षनियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक / हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशानिर्देशों का - अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समयसमय पर जारी आदेशों का विशेष - रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण-अनुभाग (व्ययक-आय) व्यय वित्त/1 के कार्यालयज्ञाप सं-0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 एवं इस संबंध में समयसमय पर- निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

:लेखाशीर्ष2401001190104 .के) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना)60.रा/40 ( (.के-

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 2401001190104<br>प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना .के)60.रा/40 (.के- | 27<br>सब्सिडी | 61,10,67, 000<br>रुपये इकसठ करोड़ दस लाख सड़सठ )<br>( हजार मात्र |
| 2 | 010 | 2401001190104<br>प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना .के)60.रा/40 (.के- | 42<br>अन्य व्यय | 2,11,82, 000<br>रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख बयासी )<br>( हजार मात्र |
| 3 | 010 | 2401001190104<br>प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना .के)60.रा/40 (.के- | 58<br>आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 10,84, 000<br>( रुपये दस लाख चौरासी हजार मात्र ) |
| | कुल | | | 63,33,33, 000<br>( रुपये तिरेसठ करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र ) |

लेखाशीर्ष :2401001190105 ( प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना)

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 2401001190105<br>प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना | 16<br>व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 8,00,00, 000<br>रुपये आठ करोड़ )<br>( मात्र |
| | कुल | | | 8,00,00, 000<br>( रुपये आठ करोड़ मात्र ) |
| महायोग | | | | 71,33,33, 000<br>( रुपये इकहत्तर करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र ) |

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-407-X-2024-25-दिनांक:03-03-मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति 2025 से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

**(शिवराज कुमार यादव)**
संयुक्त सचिव।

.....3/-

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या-03/2025/155(1)/58-2-2025, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

)1द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार (, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (परीक्षा-लेखा)प्रथमद्वितीय/, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।

(3) संयुक्तक सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रकआहरण एवं वितरण अधिकारी/, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उलखनऊ। 0प्र0

(6) वित्त -अनुभाग (नियन्त्रण-व्यय)1, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1, उत्तर प्रदेश शासन।

(8) वित्त संसाधन अनुभाग (केन्द्रीय सहायता), उत्तर प्रदेश शासन।

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(शिवराज कुमार यादव)**
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.upgov.in